रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2014/अग्रहायण 20, 1936
No. 661] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2014/AGRAHAYANA 20, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 883(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 का प्रारूप जिसे कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 के अधीन प्रस्तावित करती है, जनता के सदस्यों और ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय को अपने आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली गई थी।

और सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कोयला मंत्रालय ने जनता के सदस्यों और ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

और कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के अक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है।

और यदि उक्त नियमों के संबंध में अतिरिक्त आक्षेप और सुझाव जनता के सदस्यों और ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्राप्त किए जाते हैं, उन पर विचार किया जाएगा और नियमों के उपयुक्त रूप जो संशोधन किया जाएगा,

अत: अब केंदीय सरकार, कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 5) की धारा 29 पर प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

अध्याय I: संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :– (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अतिरिक्त लेवी" से अभिप्राय वही होगा' जो कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में समनुदेयित गया है;

(ख) 'आबंटन दस्तावेज' का नियम 11 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं;

(ग) 'आबंटन आदेश' अभिप्राय वही से अभिप्रेत है, जो अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में समनुदेयित दिया गया है;

(घ) 'कार्य दिवस' का अभिप्राय वह दिन है जो शनिवार अथवा रविवार नहीं है अथवा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित नहीं किया गया है;

(ङ) 'नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक' से वह अभिप्रेत है जो कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 5) अध्यादेश की धारा 18 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामित अभिरक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति है;

(च) 'न्यूनतम मूल्य' का अभिप्रेत से नीलामी द्वारा आबंटित अनुसूची I के कोयला खान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत अभिप्रेत है;

(छ) 'खान डोजियर' से नियम 9 के उप नियम (6) में यथानिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ज) 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' से कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 5) की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(झ) 'प्रचालन तथा प्रबंध योजना' से वही योजना अभिप्रेत है, जो नियम 28 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) 'अध्यादेश' से कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 5) अभिप्रेत है;

(ट) 'आरक्षित कीमत' से आबंटन के माध्यम से आबंटित अनुसूची I के कोयला खान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मूल्य से अभिप्रेत है;

(ठ) ''नियम' से कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 अभिप्रेत है;

(ड) 'सफल आबंटिती' से वही अभिप्रेत है, जो नियम 13 के उप नियम (i) में निर्दिष्ट है;

(ढ) 'निविदा दस्तावेज' का से वही अभिप्रेत है, जो नियम 10 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट है;

(ण) 'निधान आदेश' से वही अभिप्रेत है, जो अध्यादेश की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (ब) में समनुदेयित है;

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति है, जो इस अध्यादेश में जिसे परिभाषित नहीं की गई है और परिभाषित की गई हैं, किंतु उनका अभिप्राय वही होगा, जो इस अध्यादेश में दिया गया है।

अध्याय II : नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

3. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति:- (1) केंद्रीय सरकार अध्यादेश की धारा 6 की उप धारा (1) के उपबंध के अनुसार एक नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी;

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित के अनुसार नामित प्राधिकारी पूर्णकालिक पद हो सकता है अथवा एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में अभिदित किया जा सकता है।

4. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्यालय:- (1) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित का निर्दिष्ट कर सकती है:

(क) अध्यादेश की धारा 6 के उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की संख्या, पदनाम, भूमिका और कृत्य; और

IndiaCode

(ख) सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, संविदात्मक आधार पर अथवा अन्य विभागों अथवा संगठनों से लिए गए अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की रीति।

(2) केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तथा नामित प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए इस प्रकार का बजट का आबंटन कर सकती है जिसे ठीक समझे।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी साधारण वित्तीय नियमों और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में शक्तियों का प्रयोग करेगा और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से एक अधिकारी को कार्यालय प्रमुख के रूप में नामित कर सकते हैं।

5. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की सेवा- शर्तें:-

(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द की सेवा शर्तें केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रवर्ग श्रेणी, वेतन बेंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए लागू विधियों, नियमों, विनियमनों तथा संविदाओं सहित नियोजन की शर्तों के अनुसार, विनियमित किए जाएंगे।

(2) अन्य विभागों या संगठनों से लिए गए तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी में तैनात अधिकारी अपने संबंधित विभाग या संगठन में नियोजन की शर्तों एवं संबंधित सदृश श्रेणी और वेतन बेंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में लागू नियमों द्वारा शासित किए जाएंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में संविदात्मक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति कंपनी नियुक्ति निबंधन में अपनी संविदा की संबंधित शर्तों द्वारा शासित की जाएगी।

6. विशेषज्ञ :- (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित उसी प्रकार के विशेषज्ञ सलाहकारों के संबंध में निम्नलिखित पैनल में पहले से ही हैं, अर्थात:-

(क) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय अथवा विभाग; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र का उद्यम केंद्रीय सरकार का कोई सांविधिक अथवा स्वावत्तशासी संगठन।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है जो किसी पैनल में नहीं हैं।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी तारीख 31 अगस्त, 2006 के परामर्शदाताओं के नियोजन की नीतियों एवं क्रियाविधियों के पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 'गुणवता आधारित चयन' अथवा 'सीधी वार्ता द्वारा चयन' के अपने लिए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

7. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां तथा कर्तव्य:- (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अध्यादेश तथा इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) अध्यादेश की धारा 6 के अधीन पूर्वगामी प्रतिकूल पूर्ववर्ती साधारण को बिना नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास निम्नलिखित यथास्थिति शक्तियां अथवा कर्त्तव्य क्षेत्र : -

(क) किसी पूर्व आबंटी से अनुसूची I की किसी कोयला खण्ड के संबंध में सभी आवश्यक सूचना मंगाना, जिसमें कोयला भण्डारों, उत्पादन, उत्पादन लागतो, खान अवसंरचना और किसी पूर्व आबंटिती द्वारा संपन्न संविदा के अभिलेख सम्मलित हैं;

(ख) ऐसे प्रारूप में निधान आदेश का निष्पादन करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(ग) ऐसे प्रारूप में आबंटन आदेश का निष्पादन करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(घ) सम्मति, अनुज्ञाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुदानों, रजिस्ट्रीकरणों सहित किसी प्रकार के अभिलेख तथा तात्विक अधिकार, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो, के परिवर्तन के बारे में सुसंगत केन्द्रीय प्राधिकारियों एवं राज्य प्राधिकारियों को सूचित करना;

(ङ) नीलामी से आगमों की आय तथा आबंटन से प्राप्त रकम के संग्रहण के लिए अपेक्षित कदम करना;

(च) करो, उदग्रहण अथवा उपकरों के ब्यौरे मांगना;

(छ) प्रतिभूति ऋणदाताओं को अनुसूची I के संबंध में कोयला खण्ड के संबंध में किसी सुरक्षित उधार, ऋण अथवा किसी पूर्व आबंटी द्वारा सृजित सुरक्षा ब्याज सहित अन्य ऋण सुविधाओं के ब्यौरे देने का निर्देश देना;

(ज) यथास्थिति निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश के संबंध में बैंक गारंटी का संग्रहण सुनिश्चित करना;

(झ) पूर्व आबंटिती की किसी चल संपत्ति का अभिलेख रखना;

(ञ) अनुसूची I कोयला खान के बारे में किसी पूर्व आबंटी द्वारा किसी प्रभार की सूचना का अभिलेख रखना।

(ट) खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमनों के अधीन संगत कानूनी प्राधिकारियों से सूचना मंगाना;

(ठ) किसी पूर्व आबंटिती को संदाय के लिए आयुक्त को अधिमानी संदाय एवं रकम के अंतरण का समायोजन करना;

(ड) संबंधित राज्य सरकारें जहां अनुसूची I कोयला खान अवस्थित है, को परिशिष्ट राशि का अंतरण;

(ढ) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एक अथवा उससे अधिक बैंक खाते खोलना, प्रचालन करना तथा रखरखाव करना;

(ण) अध्यादेश की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट जो की प्राथमिकता के अनुसार पूर्व आबंटिती से भिन्न अन्य व्यक्ति को नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार संदाय करना;

(त) अनुसूची-II कोयला खान के पूर्व आबंटिती के लिए नियम तारीख को कोयला भंडार की व्ययन की रीति को विनिर्दिष्ट करना;

(थ) केंद्रीय सरकार की किसी समिति सहित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों, तथ्यों अथवा रिपोर्टों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी ओदश पर विचार कर सकता है, जिसे वह समीचीन समझा गया हो।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई अन्य शक्तियां भी होगी जो अध्यादेश और इन नियमों में किए गए उल्लेख के अनुसार नामित प्राधिकारियों के कार्यों का पारिणामिक अथवा अनुषंगी हो।

अध्याय III: नीलामी और आबंटन प्रक्रिया

8. आबंटन प्रक्रिया:- (1) अनुसूची I कोयला खानों के आबंटन के संबंध में:

(क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति से खान डोजियर को अंतिम रूप देगा;

(ख) केंद्रीय सरकार नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक आदेश जारी करेगी;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नियम, 8 के उप नियम (2) के अधीन जारी आदेश के अनुसरण में, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 10 के उपबधों के अनुसार नीलामी की कार्रवाई करेगा अथवा यथास्थिति नियम 11 अथवा 12, के अनुसार आबंटन की कार्रवाई आचरण करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आदेश जारी करेगी अर्थात :

(क) (i) इस अध्यादेश की धारा-4 के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी, अथवा (ii) अध्यादेश की धारा-5 के अधीन आबंटन के माध्यम से अनुसूची-I के कोयला खान का आबंटन ।

(ख) किसी अनुसूची II कोयला खान अथवा अनुसूची -III कोयला खान के मामले में विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग,

(ग) नीलामी अथवा आबंटन करने के लिए विस्तृत मानदंड, और

(घ) कोई अन्य मामला, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अध्यादेश अथवा इन नियमों के अनुसार अभिचीत समझा गया हो ।

(3) केंद्रीय सरकार यथास्थिति न्यूनतम मूल्य अथवा आरक्षित मूल्य, के निर्धारण हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सिफारिश कर सकता है, जो अध्यादेश तथा इन नियमों के अनुसार उनका अवधारण करेगा ।

(4) नीलामी अथवा आबंटन के लिए राशि में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मलित होगा :-

(क) भूमि और खान अवसंरचना के मूल्य के लिए नियतित रकम ।

(ख) यथास्थिति न्यूनतम मूल्य अथवा आरक्षित मूल्य।

(ग) नीलामी के मामले में बोली की परिवर्तनशील राशि का,

भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा ।

9. खान डोजियर :- (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुसूची I कोयला खान के पूर्व आबंटिती को यह अधिसूचित कर सकेगा है कि वह ऐसे पूर्व आबंटिती को पूर्व में आबंटित अनुसूची I कोयला खान के संबंध में ऐसी सूचनाएं तथा दस्तावेज प्रदान करें जो कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित समझी गई हो ।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, पूर्व आबंटिती इस अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (2) के अनुसार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना नियम 9 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट की सूचना प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर देने के लिए अपेक्षित होगा ।

(3) नियम 9 की उप-धारा (1) को प्रतिकूल हुए बिना नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व आबंटिती से किसी भी समय कोई भी सूचना मांग कर सकेगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मलित है:-

(क) भौगोलिक क्षेत्र, कोयला आरक्षिता और अन्य भौगोलिक सूचनाओं सहित अनुसूची I कोयला खान की विशिष्टताओं ।

खान अवसंरचना की विशिष्टताएं ।

(ख) पूर्व आबंटिती द्वारा खनन प्रचालनों की विशिष्टताएं, यदि कोई हो, सहित लिप्त कार्मिकों के ब्यौरे ।

(ग) सुरक्षित ऋणदाताओं की विशिष्टताओं के साथ नियम 9 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के अनुसार सुरक्षित ऋणदाताओं के प्रति राशि के ब्यौरे ।

(ड.) खनन प्रचालनों से सुसंगत सभी संविदाओं की विशिष्टताएं ।

(च) खनन पट्टे की हकदारी की विशिष्टताएं सभी कानूनी अनुज्ञप्ति, परमिट, अनुमति, खनन प्रचालनों के संबद्ध अनुमोदन अथवा सम्मति ।

(छ) तुलनपत्र तथा लाभ और हानि का लेखा, संपरिक्षक की रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय सूचनाएं ।

(ज) खनन प्रचालनों के संबंध में उपयोजित स्थावर संपत्ति की विशिष्टताएं ।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमित सुरक्षित प्रतिभूतियों, लेखा परीक्षकों, संविदा की प्रतिपक्षों तथा नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक सहित पूर्व आबंटिती के अलावा किसी भी व्यक्ति से अनुसूची I कोयला खान के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है और ऐसे व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यथा अपेक्षित अवधि के भीतर ऐसी सूचनाएं प्रदान करेंगे । ऐसे अन्य पक्ष नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वांछित सूचनाएं देने के लिए बाध्य होंगे ।

(5) इस नियम के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने में विफलता की स्थिति में अध्यादेश की धारा 24 के अधीन शास्तियों का दायी होगा ।

(6) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन पूर्व आबंटिती से प्राप्त सूचना तथा नियम 9 के उप नियम (4) के अंतर्गत पूर्व आबंटिती के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक लिखित डोजियर अर्थात प्रत्येक अनुसूची I कोयला खान के लिए खान डोजियर को तैयार करेगा ।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर, स्वयं ही अथवा इस संबंध में केंद्रीय सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार खान डोजियर को अद्यतन कर सकेगा।

10. नीलामी : (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची I कोयला खानों की नीलामी इस अध्यादेश, इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीतियों, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार की जाएगी ।

(2) अनुसूची I कोयला खानों, जिसके लिए केंद्रीय सरकार ने नियम 8(2)(क) के उप नियम (2) की धारा (क) के अंतर्गत नीलामी को विनिर्दिष्ट किया है, के मामलों में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी निविदा प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अर्थात निविदा दस्तावेज तैयार करेगा ।

(3) प्रत्येक निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित सहित ऐसी सूचनाएं सम्मलित होंगी, जिसे नीलामी प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित समझा गया हो, और:-

(क) विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग, यदि कोई हो के विविष्टियां ।

(ख) अनुसूची I कोयला खान के विविष्टियां अंतर्विष्ट खान डोजियर

(ग) न्यूनतम मूल्य, पात्रता शर्तों, नीलामी के आचरण तथा और संबंधित सूचनाओं सहित सार्वजनिक नीलामी से सहबद्ध निबंधन एवं शर्तें ।

(घ) प्रस्ताव के लिए अनुरोध ।

(ड.) सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित करार ।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कराई जाने वाली नीलामी के लिए निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:-

(क) **इलैक्ट्रॉनिक नीलामी -** अनुसूची I कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया, अध्यादेश, इन नियमों के अनुसार, निविदा दस्तावेज तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी ।

(ख) **निविदा प्रक्रिया -** (क) निविदा प्रक्रिया दो चरणों की होगी जिसमें-

(i) तकनीकी बोली, और

(ii) वित्तीय बोली, समाविष्ट होगी।

(ख) तकनीकी बोली अर्हता के प्रयोजन के लिए तथा वित्तीय बोली सफल बोलीदाता के अवधारणा की जाएगी ।

(ग) **पात्रता-** नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी निविदा दस्तावेज में नीलामी की भागीदारी के लिए पात्रता शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा और पात्रता मानकों में निम्नलिखित सम्मलित होंगे:-

(i) नीलामी में भागीदारों की तकनीकी और वित्तयी अर्हताएं ।

(ii) नीलामी प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण , और

(iii) सुरक्षा, गारंटी देने की अपेक्षा ।

(घ) अध्यादेश की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन पात्र किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित पात्रता शर्तें के मानदंड पूरा करेगा अर्थात :

IndiaCode

(i) इस अध्यादेश की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन किसी अनुसूची II कोयला खान के लिए बोली देने की पात्र कंपनी द्वारा किया गया व्यय उस एकक अथवा संयंत्र (संयंत्रों) के विशिष्ट अन्त्य उपयोग के चरण की कुल परियोजना लागत के अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: यदि एककों अथवा चरणों में अन्त्य उपयोग परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं अथवा खंड (1) के उपबंधों के अंतर्गत एक अथवा इससे अधिक एकक और चरण पात्र हैं तो अन्य एकक अथवा चरण स्वत: ही पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे अन्य एकक अथवा चरण के लिए व्यय उपगत राशि व्यय के चालीस प्रतिशत से कम न हो ।

(ii) इस अध्यादेश की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन किसी अनुसूची III कोयला खान के लिए बोली देने की पात्र कंपनी द्वारा उपगत किया गया व्यय उस एकक अथवा संयंत्र (संयंत्रों) के विशिष्ट अन्त्य उपयोग के चरण की कुल परियोजना लागत के साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए यदि एककों अथवा चरणों और एक से अधिक में अन्त्य उपयोग परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं अथवा खंड (1) के उपबंधों के अधीन एक अथवा इससे अधिक एकक और चरण पात्र हैं तो अन्य एकक अथवा चरण स्वत: ही पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे अन्य एकक या चरण के लिए लागत व्यय की गई राशि व्यय के तीस प्रतिशत से कम न हो।

(iii) विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग परियोजना की क्षमता यथास्थिति अनुसूची II कोयला खान अथवा अनुसूची III कोयला खान, जिसके लिए कंपनी बोली दे रही है, की क्षमता उपयोग के अनुपात में होगी ।

(iv) यदि कोई कंपनी सफल बोली बोलने वाला है, तो ऐसे कोयला सहबद्ध के अनुसरण में कोयला प्राप्त करने की पात्रता ऐसी कंपनी को आबंटित खान से पूरी की जाने वाली कोयले की अपेक्षा के आधार पर अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी ।

(v) उप खंड (i) और खंड (ii) के प्रयोजन के लिए यह कि कुल परियोजना लागत और व्यय का अवधारण संगत कंपनी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर होगा जो कानूनी लेखा परीक्षकों और / अथवा संगत कंपनी के रक्षित उधारदेताओं, यदि कोई हो, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणीकृत होगा ।

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी खानों अथवा कोयला भंडारों अथवा दोनों की अधिकतम संख्या को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर किसी कंपनी अथवा इसकी अनुषंगी कंपनियों अथवा सम्बद्ध कंपनियों को आबंटित किया जाएगा ।

(6) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्रीय सरकार की किसी समिति सहित ऐसी सिफारिशों निष्कर्षों अथवा रिपोर्टों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी आदेशों पर विचार कर सकता है जिसे यह अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (5) के अनुसरण में न्यूनतम मूल्य का अवधारण करने में ठीक समझे ।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक-एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा । ऐसी सूचना में निविदा दस्तावेज दस्तावेज प्राप्त करने हेतु तौर-तरीके निर्दिष्ट होंगे।

(8) निविदा प्रक्रिया में भागीदारों को प्रत्येक अनुसूची I कोयला खान के लिए पांच लाख रूपए का अप्रतिदेय प्रतिदाय करना होगा ।

(9) सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सफल बोलीदाता के चयन के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

(10) ऐसी सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सफल बोलीदाता के पक्ष में निहित आदेश जारी करने का आदेश अथवा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यथा उपयुक्त ऐसे बाध्यकारी आदेश कर सकेगा ।

11. आबंटन : (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अध्यादेश, इन नियमों, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अन्य आदेशों में निर्दिष्ट रीति से अनुसूची I कोयला खान का आबंटन आचरण किया जाएगा ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी खानों अथवा कोयला आरक्षिती अथवा दोनों की अधिकतम संख्या को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार निर्धारित मानदंडों के आधार पर किसी सरकारी कंपनी अथवा राज्य के किसी निगम को आबंटित किया जा सकेगा ।

(3) अनुसूची I कोयला खानों के संबंध में केंद्रीय सरकार ने नियम 8 के उप नियम(2) के खंड (क) के अधीन आबंटन को विनिर्दिष्ट किया है, के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी एक आबंटन दस्तावेज अर्थात "आबंटन दस्तावेज" तैयार करेगा ।

(4) प्रत्येक आबंटन दस्तावेज में निम्नलिखित सहित ऐसी सूचना सम्मलित होगी, जिसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आबंटन के प्रयोजनों के लिए समीचीन समझा गया हो :-

(क) : विनिर्दिष्ट अन्त्य प्रयोग, यदि कोई हो, की विविष्टियां

(ख) : खान डोजियर जिसमें अनुसूची I कोयला खान के विविष्टियां सम्मलित हो

(ग) : आरक्षित मूल्य पात्रता शर्तों सहित आबंटन से संबद्ध शर्तें और निबंधन, आबंटन करने की प्रक्रिया तथा तत्संबंधी अन्य सूचना

(घ) : सफल आबंटिती के साथ संपन्न किए जाने वाले प्रस्तावित करार

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के कम से कम एक – एक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अध्यादेश की धारा 5 के अधीन पात्र सरकारी कंपनी अथवा निगम से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी भावी आवेदकों को इस आबंटन दस्तावेज की व्यापक जानकारी देने का प्रबंध करेगा।

(6) आबंटन दस्तावेज आबंटन के लिए सन्ननियम विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसे सन्ननियम में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् :-

(क) विगत में आवेदक द्वारा कोयला खंडों के विकास की प्रगति;

(ख) आवेदक के वित्तीय ब्यौरे, जिनमें निवल धन तथा कुल शामिल है;

(ग) आवेदक की तकनीकी क्षमताएं और उत्खनन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी;

(घ) अन्त्य प्रयोग जिसके संबंध में कोयले का उपयोग प्रस्तावित है;

(ड.) मांग–आपूर्ति अंतर;

(च) राज्य की अपेक्षाओं का निर्धारण;

(छ) किसी निर्धारित अन्त्य उपयोग के लिए कोयला उपयोग के मामले में;

(i) अन्त्य उपयोग सुविधा की तैयारी की स्थिति;

(ii) कोयला खान के संबंध में अन्त्य प्रयोग सुविधा की समीपता;

(iii) यदि विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट अंत उपयोग है तो आवेदक कंपनी के राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता;

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (5) के अनुसरण में आरक्षित मूल्य का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार की समिति सहित किसी समिति की ऐसी सिफारिशों, निष्कर्षों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी आदेश पर विचार कर सकेगा जो समीचीन समझा गया हो।

(8) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी आबंटिती के चयन के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(9) ऐसी सिफारिशें प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सफल आबंटिती के पक्ष में आबंटन आदेश जारी करने के लिए निदेश दे सकेगी अथवा ऐसे अन्य बाध्यकारी निदेश दे सकेगी जो उचित समझे गए हों।

12. विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के आधार पर आबंटन :—नियम 8,10 अथवा 11 में अंतर्विष्टि किसी बात होते हुए भी अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार ऐसी किसी कंपनी को अनुसूची I कोयला खान आबंटित कर सकेगी, जिसके संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसे आबंटन की सिफारिश की गई हो, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समीचीन समझे जाने वाली शर्तों तथा निबंधनों पर टैरिफ के लिए प्रतियोगी बोली आधारित विद्युत परियोजना अग्रेषित जा सकती हो।

(2) केंद्रीय सरकार अनुसूची I की ऐसी कोयला खानों की सूची अधिसूचित करेगी जो नियम 12 के अधीन आबंटन के लिए उपलब्ध होगी और ऐसे आबंटन के लिए शर्तें एवं निबंधन भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

13. निधान और आबंटन के माध्यम से संक्रमण :— (1) नियम 10 के उपबंधों अनुसार, सफल बोलीदाता अथवा नियम 11 अथवा 12 के उपबंधों अनुसार आबंटिती अर्थात् "सफल आबंटिती क्रमश: निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) यदि सफल आबंटिती पूर्व आबंटिती ही है तब :-

(क) जब यथास्थिति सफल आबंटिती निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश को केवल तभी प्राप्त करने का पात्र होगा जब उसने सम्यक तारीख के भीतर लागू तथा अतिरिक्त उदग्रहण का संदाय कर दिया हो।

(ख) जब सफल आबंटिती तत्काल अपने रक्षित ऋणदाताओं को लिखित में सूचित करेगा, जो अध्यादेश की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार सुविधा करार जारी रखने का भी विकल्प दे सकते हैं।

(ग) जब सफल आबंटिती अध्यादेश की यथाप्रायोज्य धारा 8 की उप-धारा (11) और धारा (10) में विनिर्दिष्ट रीति से खनन प्रचालनों को जारी रखेगा।

(3) यदि सफल आबंटिती पूर्व आबंटिती नहीं है तब;

(क) जब पूर्व आबंटिती नियम 15 में उपबंधित रीति से प्रागमों प्राप्त करने का अधिकारी होगा;

(ख) सफल आबंटिती :-

(i) पूर्व आबंटिती को लिखित में सूचित करेगा कि वह अध्यादेश की धारा 10 की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा आपसी सहमति के अनुसार शर्तों और निबंधनों पर कोयला खनन प्रचालनों में प्रयुक्त किसी चल संपत्ति को स्वामित्व में लेने अथवा उसका उपयोग करने के लिए वार्ता शुरू करेगा।

(ii) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यथास्थिति निधान अथवा आबंटन आदेश के जारी होने से पूर्व किसी पूर्व आबंटिती के साथ विद्यमान किसी संविदा को जारी रखने अथवा अपनाने की आशय के संबंध में लिखित में सूचित करेगा।

(iii) सफल आबंटिती से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यथास्थिति निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश में इस अध्यादेश की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसी संविदाओं का निधान सम्मलित करेगा।

(4) अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार सफल बोलीदाता अथवा आबंटिती से यह अपेक्षित होगा कि वह यथास्थिति केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करेगा और ऐसी निष्पादन बैंक गांरटी में अन्य के साथ – साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा, अर्थात्:-

(i) यह बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगा;

(ii) यह कोयला खान के विकास के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ तब तक जुडी रहेगी जब तक कोयला खान केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित खान योजना में यथाविनिर्दिष्ट अपनी शीर्ष रेटिड क्षमता तक न पहुंच जाए; और

(iii) निष्पादन बैंक गारंटी के अनुसार बिना किसी विलंबन, आपत्ति, केवियट अवरोध, विरोध अथवा पुनावृत्ति बिना किसी सहारे के संदाय होना चाहिए;

(5) सफल आबंटिती नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ करार करेगा जिसमें आबंटनकी शर्तें एवं निबंधन निर्धारित विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(6) नियम 13 के उप नियम (5) के उपबंधों के अधीन संपन्न करार की शर्तों के भंग, मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करने, इस अध्यादेश अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में अथवा किसी अन्य लागू विधि के अधीन खनन पट्टा रद्द होने की स्थिति में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश को रद्द कर देगा।

(7) सफल आबंटिती संगत अनुसूची–I कोयला खान का कब्जा लेने तथा अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (7) तथा यथास्थिति अधिकार निधान आदेश अथवा आबंटन आदेश, जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट तरीके से खनन प्रचालन आरंभ करने का पात्र होगा।

14. पूर्व आबंटिती के लिए प्रतिकरों के अवधारण और पंजीकृत बिक्री रजिस्ट्रीकरण प्रलेख फाइल करने की विधि.—(1) पूर्व आबंटिती को देय प्रतिपूर्ति का अवधारण अध्यादेश की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी:-

(क) शेष में अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (2) के अनुसार तुलन-पत्र में यथा प्रभावित संरचना खान के अभिकथित मूल्य सूचना के लिए सांविधिक खान अवसंरचना के अवमूल्य के संबंध में सूचना मांग सकेगा;

(ख) अध्यादेश की धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंधों अनुसार पूर्व आबंटिती को देय प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में केंद्रीय सरकार और/ अथवा विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(2) पूर्व आबंटिती अध्यादेश की धारा 16 की उप-धारा (1) के अनुसार इस संबंध में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनूसूची – I खानों के संबंध में पंजीकृत विक्रय प्रलेख और/ अथवा इसकी प्रमाणिक प्रति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दर्ज करेंगा।

15. पूर्व आबंटिती से भिन्न व्यक्तियों को बिक्री से प्राप्त आगम संवितरण की प्राथमिकता.— (1) अध्यादेश की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार अनुसूची – I कोयला खान के संबंध में भूमि तथा खान अवसंरचना से प्राप्त आगम का संवितरण संदाय की निम्नलिखित प्राथमिकताओं को बनाए रखते हुए किया जाएगा, अर्थात :-

(क) अध्यादेश की धारा 9 के खंड (क) के अनुसार रक्षित ऋणदाताओं को संदाय;

स्पष्टीकरण :—यदि जहां एक से अधिक रक्षित ऋणदाता हैं और भूमि तथा खान अवसंरचना से प्राप्त आगम उनके दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन ऋणदाताओं को उनके रक्षित दावों के अनुपात में संदाय करेगा।

(ख) सुसंगत तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को पूर्व आबंटी से शोध्य सभी राजस्व कर उपकर अतिरिक्त उदग्रहण तथा दरें और सुसंगत अनुसूची–I कोयला खान के संबंध में उस तारीख से ठीक पूर्व बारह मास के भीतर शोध्य और संदेय हो जाने पर,

(2) दावों का अवधारण :- (क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं के कम से कम एक – एक समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा पूर्व आबंटिती से भिन्न व्यक्तियों को इस नियम के अधीन संदाय प्राप्त करने के लिए नियत अवधि के भीतर अपने संबंधित दावों के सबूत के साथ अपने दावें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक दावेदार जो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दावे या समुचित फाइल करने के लिए असफल होता है, किए गए संवितरण में शामिल नहीं किया जाएगा, वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समय के भीतर किए गए संवितरण के लिए पात्र नहीं होगा;

(ग) पूर्वोक्त दावें अनुसार उसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 15 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार दावों का क्रम तय करेगा और ऐसे प्राथमिकता क्रम के अनुसार उनकी उल्लखित जांच करेगा;

(घ) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच, जो उसकी राय में आवश्यक हो, के बाद ऐसे दावों का स्वरूप और सीमा अवधारित करेगा तथा लिखित आदेश द्वारा किसी दावें को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा;

(ड.) प्राथमिकता के क्रम के अनुसार दावों के निर्धारण के संबंध में किसी विसंगति की स्थिति में मामले को केंद्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का निर्णय नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए बाध्य होगा;

(3) संवितरण की रीति :- इस नियम में निर्दिष्ट संदाय यथा स्थिति ऐसे व्यक्तियों की पहचान रक्षित ऋणदाताओं सहित और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए दावे सत्यापित होने पर ऐसे संदायों को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किए जाएंगे।

16. स्थावर संपत्ति के हक का अवधारणा :—(1) अध्यादेश की धारा 10 की उप-धारा (5) के परन्तुकों के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्थावर संपत्ति के हक के अवधारण के संबंध में नियम 15 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(2) यदि स्थावर संपत्ति, जिसका निपटान धारा 10 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार सफल बोलीदाता अथवा आबंटिती द्वारा कर दिया गया हो, ऐसी स्थावर संपत्ति का स्वामी अथवा पट्टाधारी निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर उस स्थावर संपत्ति का साबित कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) ऐसे स्वामी के पक्ष में मूल बिल, बीजक, रसीदें;

(ख) ऐस अंतरण के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला कोई दस्तावेज;

(ग) ऐसे स्वामी की लेखा बहियों में प्रविष्टियां;

17. पुन: नीलामी और पुन: आबंटन :—(1) यदि, यथास्थिति, नियम 10 या नियम 11 के अनुसरण में या किसी भी कारण वह जो भी हो के अनुसरण में किसी अनुसूची–I कोयला खान का आबंटन नहीं किया जाता है तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, यथास्थिति, नियम 11 के अनुसार ऐसी अनुसूची–I कोयला खान की नीलामी अथवा आबंटन पुन: आरंभ करने की शक्ति होगी; बशर्ते कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी अनुसूची–I कोयला खनन के संबंध में केंद्रीय सरकार से नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन कोई अन्य आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन किसी अनुसूची–I कोयला खान के संबंध में केंद्रीय सरकार ने कोई नया आदेश जारी किया है तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आदेश के अनुरूप कार्य करेगा और, यथास्थिति, नियम 10 अथवा नियम 11 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय IV : अतिरिक्त उदग्रहण

18. अतिरिक्त उदग्रहण :—(1) 24 सितम्बर, 2014 (24 सितम्बर, 2014 सहित) तक किसी अनुसूची–II कोयला खान से उत्खनित कोयले के संबंध में अतिरिक्त उदग्रहण पूर्व आबंटिती द्वारा 31 दिसंबर,2014 को अथवा उससे पूर्व केंद्रीय सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा।

(2) तारीख 24 सितम्बर, 2014 के बाद से 31 मार्च, 2015 तक (31 मार्च, 2015 सहित) किसी अनुसूची–II कोयला खान से उत्खनित कोयले के संबंध में अतिरिक्त उदग्रहण पूर्व आबंटिती द्वारा 30 जून, 2015 को अथवा उससे पूर्व सरकार के पास जमा करवाया जाएगा।

(3) अतिरिक्त उदग्रहण को वास्तविक समय समग्र समायोजन (आरटीजीएस) अथवा राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सहित किसी डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चैक अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यमों से केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित खाते में जमा कराया जाएगा।

अध्याय V : कतिपय व्यवस्थाएं

19. कोयला खानों के अधिकतम उपयोग के लिए व्यवस्थाएं :—(1) अध्यादेश की धारा 20 की उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई करार अथवा व्यवस्थाएं करने का प्रस्ताव करने वाला सफल बोलीदाता अथवा आबंटिती अथवा कोयला सहबद्धता धारक लिखित में केंद्रीय सरकार को आवेदन करेगा।

(2) नियम 19 के उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन निम्नलिखित के पूरे ब्यौरे शामिल करेंगे, अर्थात : -

(क) प्रस्तावित करारों अथवा व्यवस्थाओं के पक्षकार,

(ख) प्रस्तावित करार अथवा व्यवस्थाएं; और

(ग) वह रीति, जिसके माध्यम से ऐसे करार अथवा व्यवस्थाएं कोयला खानों का अधिकतम उपयोग तथा लागत दक्षता प्राप्त करेंगे ;

(3) केंद्रीय सरकार प्रस्तावित करार अथवा व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसी अतिरिक्त सूचना मगां सकेगी जो वह उचित समझे।

(4) केंद्रीय सरकार ऐसी जांच के पश्चात जो उसकी राय में आवश्यक हो, लिखित आदेश द्वारा प्रस्तावित करार अथवा व्यवस्था को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अनुमोदित अथवा अस्वीकार कर सकेगी।

(5) ऐसे करारों अथवा व्यवस्थाओं का निष्पादन हो जाने पर उनकी प्रमाणित प्रति ऐसे निष्पादन के 15 कारवार दिवसों के भीतर केंद्रीय सरकार के पास जमा की जाएगी।

20. सफल आबंटिती के अन्य संयंत्र के लिए कोयले का उपयोग :—(1) अध्यादेश की धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबधों के अनुसार सामान्य विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए कोई सफल बोलीदाता अपने अथवा आबंटिती अथवा अपनी सहायक कंपनी के अन्नय किसी संयंत्र के लिए अनुसूची–I कोयला खान विशेष से उत्खनित कोयले के उपयोग का प्रस्ताव करने वाला सफल बोलीदाता अथवा आबंटिती केंद्रीय सरकार को लिखित में पूर्व सूचना देगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे उपयोग की अनुमानित तारीख से कम से कम 30 कारवार दिवस पहले दी जाएगी।

(3) केंद्रीय सरकार ऐसे उपयोग के संबंध में ऐसी और सूचना मंगा सकेगी जो वह उचिव समझे और ऐसी शर्तें तथा निबंधन अधिरोपित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

अध्याय VI : संदाय आयुक्त

21. संदाय आयुक्त की नियुक्ति :—(1) केंद्रीय सरकार अध्यादेश की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार संदाय आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

(2) संदाय आयुक्त का पद पूर्णकालिक पद अथवा अंशकालिक पद हो सकेगा है अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार अतिरिक्त के रूप में अवधारित किया जा सकेगा।

22. संदाय आयुक्त का कार्यालय :— (1) केंद्रीय सरकार :-

(क) अध्यादेश की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसार संदाय आयुक्त की सहायता हेतु अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की संख्या, पदनाम, भूमिका और कृत्य निर्धारित कर सकेगी; और

(ख) सीधी भर्ती, अन्य विभागों अथवा संगठनों से प्रतिनियुक्ति संविदा, अथवा समनुदेशन के आधार पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार संदाय आयुक्त तथा संदाय आयुक्त के कार्यालय द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए ऐसे बजटीय आबंटन भी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(3) संदाय आयुक्त साधारण वित्तीय नियमों एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में शक्तियों का उपयोग करेगा और वह अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को कार्यालय प्रमुख नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

23. संदाय आयुक्त तथा आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें :—(1) संदाय आयुक्त तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियोजन के ऐसे निबंधनों जिसके अंतर्गत विधियां नियम, विनियम तथा संविदाएं भी हैं ऐसी शर्तों के अनुसार विनियामित होंगी जो तदनुरूपी श्रेणी तथा पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है।

(2) अन्य विभागों अथवा संगठनों से लिए जाने वाले तथा संदाय आयुक्त के पास तैनात किए जाने वाले अधिकारी अपने संबंधित विभागों अथवा संगठनों में कार्यरत तदनुरूपी/श्रेणी और वेतन अथवा वेतनमान वाले अधिकारियों पर लागू नियोजन की शर्तों और नियमों से प्रशासित होंगे।

(3) संदाय आयुक्त के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक अपनी नियुक्ति के संबंध में संविदा की संबंधित शर्तों द्वारा शासित होंगे।

24. संदाय आयुक्त की शक्तियां और दायित्व :—(1) संदाय आयुक्त के पास अध्यादेश अथवा इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियां होंगी।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संदाय आयुक्त के पास निम्नलिखित के संबंध में यथास्थिति शक्तियां अथवा कर्त्वय होंगे;

(क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिपूर्ति के बराबर रकम का पूर्व आबंटिती को संदाय करना;

(ख) अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए एक अथवा उससे अधिक बैंक खाते खोलना, उनका प्रचालन तथा अनुरक्षण करना; और

(ग) प्रत्येक अनुसूची–I कोयला खान के लिए संदाय आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों के संबंध में अभिलेख रखना।

(3) संदाय आयुक्त के पास ऐसी कोई अन्य शक्तियां भी होंगी, जो संदाय आयुक्त के दायित्वों के संबंध में परिणामी अथवा प्रासंगिक हो।

25. संदाय की द्रग :—इस नियम में उल्लिखित संदाय विनिर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को जो ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे उनकी पहचान तथा उनके द्वारा किए गए दावों की जांच पर किए जाएंगे।

अध्याय VII : नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक

26. नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक की नियुक्ति : (1) केंद्रीय सरकार अध्यादेश की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के माध्यम से किसी भी अनुसूची–I कोयला खान के लिए किसी भी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार प्रत्येक अनुसूची–I कोयला खान के लिए अलग – अलग नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(3) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक, केंदीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने कर्त्वयों के निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों, परामर्शदाताओं, और विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा, जो आवश्यक हों।

(4) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा समीचीन समझे जाने वाले मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है अर्थात :-

(क) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक की नियुक्ति की अवधि, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा, यदि आवश्यक हो तो,

(ख) विशिष्ट कार्रवाईयां, यदि कोई हो, जिन्हें नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा उसे सौंपी गई प्रत्येक अनुसूची-I खान के संबंध में करना अपेक्षित होगा;

(ग) यदि नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक खनन प्रचालन शुरू करता है तो नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा उत्खनित कोयले के निपटान की विधि;

(5) केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक के साथ प्रचालन तथा प्रबंधन करार कर सकेगी।

27. नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा कब्जा:—(1) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक इस अध्यादेश के अंतर्गत संगत कोयला खान के पूर्व आबंटिती को आदेश जारी करके सुसंगत अनुसूची–I कोयला खान को अपने अधिकार तथा नियंत्रण में लेने का पात्र होगा।

(2) सुसंगत अनुसूची-I कोयला खान का कब्जा लेने के समय नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक सुसंगत अनुसूची I कोयला खानों में निहित संपत्ति की सूची तैयार करेगा तथा परिसंपत्तियों की यह सूची केंद्रीय सरकार तथा पूर्व आबंटिती को भेजेगा।

(3) अनुसूची-II कोयला खान के मामले में यदि नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक ऐसा निर्देश देता है तो पूर्व आबंटिती निर्धारित संरक्षक द्वारा सुसंगत अनुसूची-II कोयला खान का अधिग्रहण करने तक नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को विश्वास में लेकर सुसंगत अनुसूची-II की कोयला खानों पर अधिकार बनाए रख सकता है।

28. प्रचालन एवं प्रबंध योजना:—(1) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक उसकी सौंपी गई अनुसूची I प्रत्येक कोयला खान के लिए विस्तृत प्रचालन एवं प्रबंध योजना तैयार करेगा तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी अवधि, जो तीस कारवार दिवसों से अधिक नहीं होगी, के भीतर ऐसी प्रचालन एवं प्रबंध योजना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रचालन एवं प्रबंध योजना में निम्नलिखित से संबंधित विवरण अंतर्विष्ट होंगे:-

(**क**) ऐसे तरीके जिनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक सुसंगत अनुसूची I की कोयला खान का संचालन एवं प्रबंधन करेगा;

IndiaCode

(**ख**) अनुसूची-I कोयला खान के मामले में प्रचालन एवं प्रबंधन योजना में नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा इस अध्यादेश की धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का विवरण शामिल होगा;

(**ग**) प्रचालन एवं प्रबंध योजना के कार्यान्वयन में नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा व्यय की जाने वाली कुल लागत का विवरण;

(**घ**) कार्मिकों की संख्या जिसे प्रचालन एवं प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के लिए नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक नियोजित करेगा अथवा भाड़े पर रखेगा ;

(**ङ**) यदि नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक खनन प्रचालन शुरू करता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कोयले का निपटान करता है तो नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम;

(**च**) इस अध्यादेश की धारा 19 की उप-धारा (6) के अनुसार नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा तीसरे पक्ष को अनुसची I की कोयला खानों के प्रचालन एवं प्रबंधन के अंतरण की रीति।

(3) केंद्रीय सरकार प्रचालन एवं प्रबंधन योजना को उपांतरित कर सकेगी तथा अंतिम प्रचालन एवं प्रबंधन योजना के बारे में नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को सूचित कर सकेगी जो नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक के लिए बाध्यकारी होगा। केंद्रीय सरकार किसी भी समय नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को प्रचालन एवं प्रबंधन योजना में उपांतरण करने के लिए कह सकती है।

29. लागत, राजस्व, फीस:—(1) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त करने की लागत सहित सुसंगत कोयला खानों को प्रारंभ करने के लिए वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक द्वारा अर्जित किए जाने वाला किसी प्रकार का राजस्व केंद्रीय सरकार के पास जमा किया जाएगा।

(3) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक अपनी लागतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फीस के लिए पात्र होगा।

30. नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक की शक्तियां:—(1) इस अध्यादेश की धारा 19 के अधीन निर्धारित शक्तियों पर सामान्य तौर पर कोई भी प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश तथा प्रचालन एवं प्रबंधन योजना के अध्याधीन नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी।

(**क**) अनुसूची-II कोयला खान में खनन प्रचालन करना;

(**ख**) कोयला खनन प्रचालन करने के लिए प्रबंधक एवं अन्य कार्मिक नियुक्त करना;

(**ग**) उसे सौंपी गई अनुसूची-II कोयला खान के किसी भी क्षेत्र अथवा परिसर में प्रवेश करना तथा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करना;

(**घ**) इस अध्यादेश की धारा 19 की उप-धारा (3) के उपबंधो के अनुसार अनुसूची II कोयला खानों के कारण किसी प्रकार के ऋण की वसूली के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई करना;

(**ङ**) यदि नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक इस अध्यादेश की धारा 19 की उप-धारा (3) के उपबधों के अनुसार अनुसूची-II कोयला खानों को देय धन प्राप्त करता है, जो इसकी नियुक्ति की तारीख से पहले किसी भी समय किए गए लेनदेन से संबंधित है, तो नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक इस अध्यादेश की धारा 9 के उपबधों अनुसार यथास्थिति, भुगतान करने के बाद तथा ऐसे सत्यापन, के बाद पूर्व आबंटिती को ऐसी राशि सौंपेगा।

(**च**) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण को करों, शुल्कों, उपकरों तथा दरों के संदाय सहित किसी भी प्रकार का व्यय करना किन्तु, यह की ऐसा व्यय पूर्व आबंटिती पर बकाया न हो;
परंतु यह और कि यदि यह व्यय खान के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक है तो नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह व्यय कर सकेगा है;

(**छ**) उसको सौंपी गई अनुसूची-II कोयला खान के पूर्व आबंटिती अथवा किसी तृतीय पक्ष को ऐसी सूचना एवं दस्तावेज प्रदान करने के लिए कह सकेगा है जो कि आवश्यक समझे गए हों;

(**ज**) इस अध्यादेश तथा इन नियमों में निर्धारित नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक के कार्यों के परिणामस्वरूप अथवा उनके लिए अपेक्षित कोई अन्य शक्तियां।

(2) नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को उसे सौंपी गई किसी अनुसूची I कोयला खान को संरक्षित करने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक ऐसी किसी भी उत्पन्न स्थिति तथा ऐसी कार्रवाई के मामले के बारे में केंद्रीय सरकार को तत्काल लिखित रूप में सूचित करेगा।

(3) केंद्रीय सरकार किसी भी समय नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को यह निदेश दे सकेगी कि वह इसको निर्दिष्ट किसी भी खान का अधिकार प्रबंधन तथा नियंत्रण इस अध्यादेश तथा इन नियमों के निबधनों के अनुसार चयनित व्यक्ति को सौंप दे।

अध्याय VIII : प्रकीर्ण

31. यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या इस अध्यादेश या इन नियमों के अधीन कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है या देता है तो ऐसे दस्तावेज के साथ उसकी वास्तविकता के संबंध में एक शपथपत्र होगा और पश्चात्वर्ती रूप से यह पता चलता है कि ऐसा दस्तावेज मिथ्य है या सत्य नहीं है तो वह तत्समय प्रवृत विधि के अधीन दायी होगा।

32. **लेखा परीक्षा:**—नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त एवं नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के अध्याधीन होगा।

33. **आचरण एवं अनुशासन:**—नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त तथा नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक एवं कार्मिक, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारीवृंद, संदाय आयुक्त तथा नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक उन पर लागू होने वाले आचरण एवं अनुशासन नियमों के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 11022/10/2014-सीए-I]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

GS.R. 883(E).—WHEREAS a draft of the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 which the Central Government proposes to make under the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 was placed in the website of the Government of India, Ministry of Coal requesting the members of public and all the persons likely to be affected thereby to submit their objections and suggestions, if any, to the Government of India, Ministry of Coal;

AND WHEREAS in response to such public notice the Ministry of Coal received objections and suggestions from the members of public and the persons likely to be affected thereby;

AND WHEREAS the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 were finalised after considering the objections and suggestions;

AND WHEREAS if any further objections and suggestions are received on the said rules from the members of public and the persons likely to be affected thereby, the same shall be considered and the rules shall be suitable amended;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 29 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I: SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "additional levy" has the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) Section 3 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014);

(b) "allotment document" means the document referred to in sub-rule (4) of rule 11;

(c) "allotment order" means the allotment order as referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014);

(d) "business day" means a day which is not a Saturday or Sunday or any other day declared as a public holiday by the Central Government;

(e) "designated custodian" means a person appointed as a designated custodian by the Central Government under section 18 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014);

(f) "floor price" means the price fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of auction;

(g) "mine dossier" means the mine dossier as referred to in sub-rule (6) of rule 9;

(h) "nominated authority" means a person appointed as a nominated authority by the Central Government under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014);

(i) "operation and management plan" means the plan as referred to in sub-rule (1) of rule 28;

(j) "Ordinance" means the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014);

(k) "reserve price" means the price fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of allotment;

(l) "rules" means the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014;

(m) "successful allocatee" means the successful allocatee as referred to in sub-rule (1) of rule13;

(n) "tender document" means the tender document as referred to in sub-rule (2) of rule 10;

(o) "vesting order" means the vesting order as referred to in clause (w) of sub-section (1) of Section 3 of the Ordinance.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Ordinance shall have the meaning respectively assigned to them in the Ordinance.

CHAPTER II: THE NOMINATED AUTHORITY

3. Appointment of the nominated authority.- (1) The Central Government shall appoint a nominated authority in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Ordinance.

(2) The nominated authority may be a full time authority or be designated as an additional charge, as determined by the Central Government.

4. Office of the nominated authority.- (1) The Central Government may specify-

(a) the number, designation, role and function of the officers and staff to assist the nominated authority in accordance with the provision of sub-section (5) of Section 6 of the Ordinance; and

(b) the manner of appointment of the officers and staff through direct recruitment, deputation, contract, or assignment from other departments or organisations.

(2) The Central Government may make such budgetary allocation as it may deem fit, for discharge of functions by the nominated authority and the office of the nominated authority.

(3) The nominated authority shall exercise powers as Head of the Department in accordance with the General Financial Rules and Delegation of Financial Power Rules and the nominated authority may designate one of the officers working under him as Head of Office.

5. Conditions of service of the nominated authority and the officers and staff.- (1) The conditions of service of the nominated authority and the officers and staff of the nominated authority, shall be regulated in accordance with such terms of employment, including the laws, rules, regulations, and contracts, as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to the corresponding category and pay band, grade pay or scale of pay.

(2) Officers assigned from other departments or organisations and posted with the nominated authority shall be governed by the terms of employment and the rules applicable to them in their respective departments or organisations belonging to the corresponding category and pay band, grade pay or scale of pay.

(3) Persons appointed on contractual basis in the office of the nominated authority shall be governed by their respective terms of contract with respect to their appointment.

6. Experts.- (1) The nominated authority may appoint experts who are already on the panel of the following with respect to similar expert advisory as required by the nominated authority, namely:-

(a) any ministry or department of the Central Government; or

(b) any Central Government public sector enterprise or any statutory or autonomous organisation of the Central Government.

(2) The nominated authority may also appoint experts who are not on any panel after following the procedure specified by the Central Government.

(3) The nominated authority may in its discretion use quality based selection or selection by direct negotiations for appointment of experts, as specified in the Manual of Policies and Procedure of Employment of Consultants, dated the 31st August, 2006, issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure.

7. Powers and duties of the nominated authority.- (1) The nominated authority shall exercise such powers as specified in the Ordinance and these rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers and duties specified under section 6 of the Ordinance, the nominated authority shall have the power or the duty, as the case may be, to-

(a) call for all information necessary from any prior allottee in relation to any Schedule I coal mine, including records in relation to the coal reserves, production, costs of production, mine infrastructure and contracts entered into by any prior allottee;

(b) execute the vesting order in such form as may be specified by the Central Government;

(c) execute the allotment order in such form as may be specified by the Central Government;

(d) inform the relevant Central authorities and State authorities to record and mutate incorporeal rights of whatsoever nature including, of consents, permissions, permits, approvals, grants, registrations;

(e) take requisite steps for the collection of auction proceeds and the amounts realised from allotment;

(f) seek the details of taxes, levies or cess;

(g) direct the secured creditors in relation to a Schedule I coal mine to provide details of any secured debt, loans or other credit facilities, including security interest created by any prior allottee;

(h) ensure collection of bank guarantee in relation to a vesting order or an allotment order, as the case may be;

(i) keep records of any movable property of the prior allottee;

(j) keep records of the intimation of any charge in relation to a Schedule I coal mine provided by any prior allottee;

(k) call for information from the relevant statutory authorities under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and any rules and regulations made thereunder;

(l) adjust the preferential payments and transfer of amount to the Commissioner of Payments for disbursal to any prior allottee;

(m) transfer of residual amount to the respective State Governments where the Schedule I coal mine is located;

(n) open, operate and maintain one or more bank accounts for discharge of its functions;

(o) make payment to any person other than the prior allottee in accordance with the priority of payments specified in accordance with the provisions of section 9 of the Ordinance and in the manner as specified in rule 15;

(p) specify the manner of disposal of coal stock on the appointed date with the prior allottee of Schedule II coal mine; and

(q) the nominated authority may take into consideration such recommendations, findings or reports, including that of any committee of the Central Government, and any order issued by the Central Government as it may deem expedient.

(3) The nominated authority shall also have any other powers which may be consequential or incidental to the functions of the nominated authority specified in the Ordinance and these rules.

CHAPTER III: AUCTION AND ALLOTMENT PROCESS

8. Allocation process.- (1) In connection with the allocation of Schedule I coal mines-

(a) the nominated authority shall finalise a mine dossier in the manner specified in rule 9;

(b) the Central Government shall issue an order to the nominated authority as provided in sub-rule (2) of rule 8;

IndiaCode

(c) pursuant to the order issued by the Central Government under sub-rule (2) of rule 8, the nominated authority shall conduct the auction process in accordance with the provisions of rule 10 or the allotment process in accordance with rule 11 and rule 12, as the case may be.

(2) The Central Government shall issue an order to the nominated authority regarding the following, namely:-

(a) the manner of allocation of the Schedule I coal mine through –

(i) public auction in accordance with the provisions of section 4 of the Ordinance; or

(ii) allotment under section 5 of the Ordinance;

(b) the specified end use in case of any Schedule II coal mine or Schedule III coal mine;

(c) broad parameters for conducting auction or allotment; and

(d) any other matter that the Central Government may deem expedient in accordance with the Ordinance or these rules.

(3) The Central Government may recommend the methodology for determination of the Floor Price or Reserve Price, as the case may be, to the nominated authority which shall make the determination of the same in accordance with the Ordinance and these rules.

(4) The sum for auction or allotment shall, *inter-alia*, include-

(a) a fixed amount for the value of land and mine infrastructure,

(b) the floor price or reserve price, as the case may be,

(c) a variable amount of bid, in case of auction,

to be paid in such manner as may be specified by the Central Government.

9. Mine Dossier.—(1) The nominated authority may notify any prior allottee of the Schedule I coal mine under sub-section (1) of section 8 of the Ordinance to provide such information and documents regarding the Schedule I coal mine earlier allotted to such prior allottee, as the nominated authority may feel expedient.

(2) Upon receipt of such notice, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 8 of the Ordinance, the prior allottee shall provide the information requested by the nominated authority within a period of fifteen days starting from the date of receipt of the notice referred in sub-rule (1) of rule 9.

(3) Without prejudice to the generality of sub-rule (1) of rule 9, the nominated authority may, at any time, seek any information from a prior allottee including-

(a) particulars of Schedule I coal mine, including the geographical area, coal reserves and other geological information;

(b) particulars of the mine infrastructure;

(c) particulars of mining operations conducted by the prior allottee, if any, including details of the personnel engaged;

(d) particulars of the secured creditors, along with details of dues towards secured creditors as on the date of receipt of the notification referred in sub-rule (1) of rule 9;

(e) particulars of all contracts relevant to the mining operations;

(f) particulars of any entitlement to mining lease, all statutory licenses, permits, permissions, approvals or consents relevant to the mining operations;

(g) balance sheet and profit and loss accounts, auditor's reports and other financial information;

(h) particulars of movable property used in connection with the mining operations.

(4) The nominated authority may seek information regarding any Schedule I coal mine from any person other than the prior allottee, including secured creditors, auditors, counterparties to contracts and the designated custodian and such person shall provide such information sought within the period as specified by the nominated authority and such person shall be under an obligation to provide the information as required by the nominated authority.

(5) The person who fails to provide information requested by the nominated authority under this rule shall be liable for penalties under section 24 of the Ordinance.

(6) The nominated authority shall finalise a written dossier that is, the mine dossier for each Schedule I coal mines, based on the information received from prior allottee under sub-rule (1) of rule 9 or information received from persons other than the prior allottee under sub-rule (4) of rule 9.

(7) The nominated authority may update the mine dossier from time to time, on its own accord or upon receiving a direction from the Central Government in this regard.

10. Auction.—(1) The nominated authority shall conduct the auction of Schedule I coal mines in the manner specified in the Ordinance, these rules, and any other order issued by the Central Government in this regard.

(2) In respect of Schedule I coal mines, for which the Central Government has specified auction under clause (a) of sub-rule (2) of rule 8, the nominated authority shall prepare a document for the tendering process, that is, the tender document.

(3) Each tender document may include such information as the nominated authority may consider expedient for the purposes of auction including –

(a) the particulars of specified end use, if any;

(b) the mine dossier containing particulars of the Schedule I coal mine;

(c) the terms and conditions associated with the public auction, including the floor price, eligibility conditions, the process of conduct of auction and other related information;

(d) the request for proposal;

(e) agreements proposed to be entered into with the successful bidder.

(4) The nominated authority shall comply with the following procedure while conducting auction, namely:-

(a) **Electronic auction.—**The process of auction of Schedule I coal mines shall be conducted through electronic auction, in accordance with the Ordinance, these rules, the tender document and orders issued by the Central Government, if any.

(b) **Tender process.—**(A) The tender process shall be a two stage process comprising of–

(i) technical bid; and

(ii) financial bid.

(B) The technical bid shall be for the purpose of qualification and the financial bid shall be for the purpose of determination of the successful bidder.

(c) **Eligibility.**—The nominated authority shall specify the applicable eligibility conditions for participation in auction in the tender document and the same may include –

(i) technical and financial qualifications of the participants in the auction;

(ii) compliance with the procedure specified for the auction process; and

(iii) requirement to provide security, guarantee.

(d) A person who is eligible under sub-section (3) of section 4 of the Ordinance shall also meet the following eligibility criteria, namely:–

(i) a company eligible to bid for any Schedule II coal mine under sub-section (3) of Section 4 of the Ordinance shall have incurred an expenditure of not less than eighty per cent of the total project cost of the unit or phase of the specified end use plant for which the company is bidding,

Explanation.– For the purposes of this sub-clause in case the end use project is being commissioned in units or phases and one or more units or phases are eligible under the provisions of this sub-clause, the other unit or phase shall also be eligible provided that not less than forty per cent expenditure of the cost has been incurred for such other unit or phase;

(ii) a company eligible to bid for any Schedule III coal mine under sub-section (3) of Section 4 of the Ordinance shall have incurred an expenditure of not less than sixty per cent of the total project cost of the unit or phase of the specified end use plant for which the company is bidding,

Explanation.– For the purposes of this sub-clause in case the end use project is being commissioned in units or phases and one or more units or phases are eligible under the provisions of this sub-clause, the other unit or phase shall also be eligible provided that not less than thirty per cent expenditure of the cost has been incurred for such other unit or phase;

(iii) capacity of the specified end use project shall be in proportion to the capacity of the Schedule II coal mine or Schedule III coal mine, as the case may be, for which a company is bidding;

IndiaCode

(iv) in case a company is the successful bidder, then the entitlement to receive coal pursuant to such coal linkage shall stand proportionately reduced on the basis of the requirement of coal being met from the mine allocated to such company;

(v) for the purposes of sub-clauses (i) and (ii), the total project cost and expenditure incurred shall be determined on the basis of a certificate issued by the relevant company, duly certified by the statutory auditors and/ or secured creditors, if any, of the relevant company.

(5) The nominated authority may also specify the maximum number of mines or coal reserves or both that may be allocated to a company or its subsidiary or associate companies based on the criteria specified by the Central Government.

(6) The nominated authority may take into consideration such recommendations, findings or reports, including that of any committee of the Central Government, and any order issued by the Central Government as it may deem expedient in determining the floor price, pursuant to sub-section (5) of section 8 of the Ordinance.

(7) The nominated authority shall issue a public notice for the auction in at least one Hindi and one English language national newspaper and such public notice shall specify the manner in which the tender document shall be obtained.

(8) The participants in the tender process shall be required to make payment of non-refundable fee of five lakh rupees for each Schedule I coal mine.

(9) Upon completion of the public auction process, the nominated authority shall forward its recommendations to the Central Government with regard to the selection of successful bidder.

(10) Upon receipt of such recommendation the Central Government may direct the nominated authority to issue a vesting order in favour of the successful bidder or may provide such other binding directions to the nominated authority as may be deemed appropriate.

11. Allotment.—(1) **T**he nominated authority shall conduct the allotment of Schedule I coal mine in the manner specified in the Ordinance, these rules, and any other order issued by the Central Government in this regard.

(2) The nominated authority shall specify the maximum number of mines or coal reserves or both that may be allotted to a Government company or corporation of a State based on the criteria specified by the Central Government.

(3) In respect of Schedule I coal mines for which the Central Government has specified allotment under clause (a) of sub-rule (2) of rule 8, the nominated authority shall prepare an allotment document that is, the allotment document.

(4) Each allotment document shall include such information as the nominated authority may consider expedient for the purposes of allotment and may include-

(a) the particulars of specified end use, if any;

(b) the mine dossier containing particulars of the Schedule I coal mine;

(c) the terms and conditions associated with the allotment, including the reserve price, eligibility conditions, the process of conduct of allotment and other related information;

(d) agreements proposed to be entered into with the successful allottee.

(5) The nominated authority shall issue a public notice inviting applications from a Government company or corporation eligible under section 5 of the Ordinance in at least one Hindi and one English language national newspaper and the nominated authority may make arrangements for wide dissemination of the allotment document to the prospective applicants.

(6) The allotment document shall specify the norms for allotment and such norms may include the following, namely:-

(a) progress of development of coal blocks by the applicant in the past;

(b) financial details of the applicant, including the net-worth and turnover;

(c) technical capabilities of the applicant and the technology proposed to be used for mining;

(d) the end-use towards which the coal is proposed to be utilised;

(e) demand-supply gap;

(f) assessment of requirements of the State;

(g) in case of utilisation of the coal towards any specified end use-

(i) state of preparedness of the end use facility;

(ii) proximity of the end use facility to the relevant coal mine;

(iii) in case of generation of power being the specified end-use, the per-capita power availability in the State of the applicant company.

(7) The nominated authority may take into consideration such recommendations, findings or reports, including that of any committee of the Central Government, and any order issued by the Central Government as it may deem expedient in determining the reserve price, pursuant to sub-section (5) of section 8 of the Ordinance.

(8) The nominated authority shall forward its recommendations to the Central Government with regard to the selection of the allottee.

(9) Upon receipt of such recommendation, the Central Government may direct the nominated authority to issue an allotment order in favour of the successful allottee or may provide such other binding directions to the nominated authority as may be deemed appropriate.

12. Allotment on the basis of tariff based competitive bidding for power projects.- Notwithstanding anything contained in rules 8, 10 or 11, the Central Government may in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 5 of the Ordinance, allot any Schedule I coal mine to any company recommended for such allotment by the Government of India in the Ministry of Power, which henceforth may be awarded a power project based on competitive bid for tariff, on such terms and conditions as the Central Government may deem expedient.

(2) The Central Government shall notify a list of such Schedule I coal mines which would be available for allotment under this rule and may also specify the terms and conditions for such allotment.

13. Transition through vesting and allotment.- (1) The successful bidder in accordance with the provisions of rule 10 or the allottee in accordance with the provision of rule 11 or rule 12, that is, the successful allocatee shall be entitled to receive a vesting order or an allotment order, as the case may be.

(2) In the event that the successful allocatee is the same as the prior allottee, then-

(a) the successful allocatee shall be entitled to receive a vesting order or an allotment order, as the case may be, only after it has made payment of the applicable additional levy within the due date;

(b) the successful allocatee shall immediately inform its secured creditors in writing, who may elect to continue with the facility agreement in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 12 of the Ordinance;

(c) The successful allocatee shall continue the mining operations in the manner specified in sub-section (10) of section 8 and sub-section (11) of section 8 of the Ordinance, as applicable.

(3) In case the successful allocatee is not the same as the prior allottee then-

(a) the prior allottee shall be entitled to receive the proceeds in the manner provided in rule 15;

(b) the successful allocatee shall-

(i) inform the prior allottee in writing to commence negotiations to own or utilise any movable property used in coal mining operations on such terms and conditions as may be mutually agreed to by them in accordance with the provisions of section 10 of the Ordinance;

(ii) inform the nominated authority in writing, prior to issuance of the vesting order or allotment order, as the case may be, regarding its intention to continue and adopt any contract which may be existing with any prior allottee;

(iii) on receipt of such information from the successful allocatee, the nominated authority shall include the vesting of such contracts in the vesting order or the allotment order, as the case may be, in accordance with the provisions of section 11 of the Ordinance.

(4) In accordance with the provisions of sub-section (6) of section 8 of the Ordinance, the successful bidder or allottee shall be required to provide a performance bank guarantee for such amount as may be specified by the Central Government or the nominated authority and such performance bank guarantee may, *inter alia,* provide for the following, namely:-

(i) it shall be unconditional and irrevocable;

(ii) it shall be linked with the milestones for the development of the coal mine till it reaches its peak rated capacity as specified in the approved mine plan as may be specified by the Central Government; and

(iii) upon invocation of the performance bank guarantee, the payment should be made immediately without any demur, reservation, caveat, protest or recourse.

(5) The successful allocatee shall enter into an agreement with the nominated authority wherein the terms and conditions of the allocation shall be specified.

(6) The vesting order or allotment order shall be cancelled by the nominated authority in case of breach of terms of the agreement entered under the provisions of sub-rule (5) of rule 13, misrepresentation of facts, violation of the provisions of the Ordinance and these rules, or in the event of cancellation of mining lease under any other law in force.

(7) Successful allocatee shall be entitled to take possession of the relevant Schedule I coal mine and commence mining operations in the manner specified in sub-section (7) of section 8 of the Ordinance and the vesting order or the allotment order, as the case may be.

14. Manner of determination of compensation to the prior allottee and lodging of the registered sale deeds.- (1) The compensation payable to the prior allottee shall be determined by the nominated authority in accordance with the provisions of section 16 of the Ordinance and for the said purpose the nominated authority may –

(a) seek information regarding the written down value of the mine infrastructure as reflected in the statutorily audited balance sheet in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 8 and sub-section (2) of section 16 of the Ordinance; and

(b) seek assistance from the Central Government or experts regarding determination of compensation payable to the prior allottee in terms of sub-section (2) of section 6 of the Ordinance.

(2) The prior allottee shall lodge the registered sale deeds or its certified copy or both with respect to the Schedule I coal mines with the nominated authority in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 16 of the Ordinance, within the time specified by the nominated authority in this regard.

15. Priority of disbursal of proceeds to persons other than the prior allottee.- (1) In accordance with the provisions of section 9 of the Ordinance, the proceeds arising out of land and mine infrastructure in relation to a Schedule I coal mine shall be disbursed priority wise in the following order, namely:-

(a) payment to secured creditors in accordance with the provisions of clause (a) of section 9 of the Ordinance;

Explanation.- In case where there are more than one secured creditors and the proceeds arising out of the land and mine infrastructure is not sufficient for full satisfaction of their claims, then the nominated authority shall pay such creditors in proportion to their secured claims.

(b) all revenues, taxes, cess, additional levy and rates due from the prior allottee to the Central Government or a State Government or to a local authority at the relevant date, and having become due and payable within the twelve months immediately before that date, with respect to the relevant Schedule I coal mine.

(2) **Determination of claims**.- (a) The nominated authority may invite persons other than the prior allottee to submit their claims with proof of their respective claims within a fixed time period to receive payments under this rule, through publication in at least one English and one Hindi language national newspaper.

(b) every claimant, who fails to file a claim or appropriate proof of the claim within the time specified by the nominated authority, shall not be entitled for the disbursements made by the nominated authority;

(c) upon receipt of the aforementioned claims, the nominated authority shall arrange the claims in the order of priority specified in sub-rule (1) rule 15 and examine the same in accordance with such order of priorities;

(d) the nominated authority shall after such investigation as may, in its opinion be necessary, determine the nature and extent of such claims and may by an order in writing, admit or reject the claim in whole or in part;

(e) in the event of any difference regarding determination of claims in accordance with the order of priority, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government in this regard shall be binding on the nominated authority.

(3) **Manner of disbursement**.- The payments referred to in this rule shall be made through the bank account specified by the persons entitled to receive such payments upon verification of the identity of such persons and the claims made by such persons, including the secured creditors as the case may be.

16. Determination of title to movable property.- (1) The procedure specified in sub-rule (2) of rule 15 shall apply, *mutatis mutandis*, with respect to determination of title to movable property by the nominated authority in pursuance of the provisos to sub-section (5) of section 10 of the Ordinance.

(2) If the movable property is disposed off by the successful bidder or allottee in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 10, the owner or lessee of such movable property may establish the title of movable property on the basis of the following documents, namely:-

Indiacode

(a) original bills, invoices, receipts in favour of such owner;
(b) any document evidencing such transfer;
(c) entries in books of accounts of the such owner.

17. Re-auction and re-allotment.- (1) In case any Schedule I coal mine is not allocated pursuant to rule 10 or rule 11, as the case may be, on account of any reason whatsoever, the nominated authority shall have the power to re-initiate the auction in accordance with rule 10 or allotment in accordance with rule 11, as the case may be, with respect to such Schedule I coal mine, provided the nominated authority has not received any other order under sub-rule (2) of rule 8 from the Central Government with respect to such Schedule I coal mine.

(2) In case the Central Government has issued a fresh order with respect to any Schedule I coal mine under sub-rule (1), then the nominated authority shall act in accordance with such order and the provisions of rule 10 or rule 11, as the case may be shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER IV: ADDITIONAL LEVY

18. Additional levy.- (1) The additional levy with respect to the coal extracted from any Schedule II coal mine till the 24th September, 2014 (inclusive of the 24th September, 2014), shall be deposited by the prior allottee with the Central Government on or before the 31st December, 2014.

(2) The additional levy with respect to the coal extracted from any Schedule II coal mine after the 24th September, 2014 till the 31st March, 2015 (inclusive of the 31st March, 2015), shall be deposited by the prior allottee with the Central Government on or before the 30th June, 2015.

(3) The additional levy shall be deposited in an account specified by the Central Government by way of a demand draft, banker's cheque or any other electronic means, including real time gross settlement or national electronic funds transfer.

CHAPTER V: CERTAIN ARRANGEMENTS

19. Arrangements for optimal utilisation of coal mines.- (1) A successful bidder or allottee or a coal linkage holder proposing to enter into any agreements or arrangements referred to in sub-section (1) section 20 of the Ordinance shall make an application to the Central Government in writing.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall include the complete particulars of the following, namely:-

(a) parties to the proposed agreements or arrangements;

(b) the proposed agreements or arrangements; and

(c) the manner in which such agreements or arrangements would achieve optimal utilisation of coal mines and cost efficiencies.

(3) The Central Government may seek such further information regarding the proposed agreement or arrangements as it may deem fit.

(4) The Central Government may after such investigation as may, in its opinion be necessary, by an order in writing, grant its approval or reject the proposed agreement or arrangements, in whole or in part.

(5) Upon execution of such agreements or arrangements, a certified copy of the same shall be deposited with the Central Government within fifteen business days of such execution.

20. Utilisation of coal for any other plant of the successful allocatee.- (1) A successful bidder or allottee proposing to utilise the coal mined from a particular Schedule I coal mine for any of the other plants of such successful bidder or allottee or its subsidiary company for common specified end use in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 20 of the Ordinance, shall provide prior intimation to the Central Government in writing.

(2) The intimation referred in sub-rule (1) shall be provided at least thirty business days prior to the intended date of such utilisation.

(3) The Central Government may seek further information regarding such utilisation as it may deem fit and may impose such terms and conditions as may be found necessary.

CHAPTER VI: COMMISSIONER OF PAYMENTS

21. Appointment of the Commissioner of Payments.- (1) Central Government shall appoint the Commissioner of Payments in accordance with the provisions of section 15 of the Ordinance.

(2) The Commissioner of Payments may be a full time position, a part time position or may be designated as an additional charge, as determined by the Central Government.

IndiaCode

22. Office of the Commissioner of Payments.- (1) The Central Government may specify–

(a) the number, designation, roles and functions of the officers and staff to assist the Commissioner of Payments in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 15 of the Ordinance; and

(b) the manner of appointment of the officers and staff through direct recruitment, deputation, contract, or assignment from other departments or organisations.

(2) The Central Government may make such budgetary allocation as it may deem fit, for discharge of the functions by the Commissioner of Payments and the office of the Commissioner of Payments.

(3) The Commissioner of Payments shall exercise powers as Head of the Department in terms of the General Financial rules and Delegation of Financial Power rules and he may designate one of the officers working under him as Head of Office.

23. Condition of service of the Commissioner of Payments and the Commissioner's Officers and Staff.- (1) The conditions of service of the Commissioner of Payments and the officers and staff, shall be regulated in accordance with such terms of employment, including the laws, rules, regulations and contracts as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to corresponding category and pay band, grade pay or scale of pay.

(2) Officers assigned from other departments or organisations and posted with the Commissioner of Payments shall be governed by the terms of employment and the rules applicable to them in their respective departments or organisations belonging to corresponding category and pay band, grade pay or scale of pay.

(3) Personnel appointed on contractual basis in the Commissioner of Payments shall be governed by their respective terms of contract with respect to their appointment.

24. Powers and duties of the Commissioner of Payments.- (1) The Commissioner of Payments shall have such powers as specified in the Ordinance or these rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Commissioner of Payments shall have the power or duty, as the case may be, to–

(a) make payment to the prior allottee of an amount equal to the compensation determined by the nominated authority;

(b) open, operate and maintain one or more bank accounts for discharge of its functions; and

(c) maintain records with respect to the disbursals made by the Commissioner of Payments for each Schedule I coal mine.

(3) The Commissioner of Payments shall also have any other powers which may be consequential or incidental to the functions of the commissioner of payments.

25. Manner of payment.- The payments referred to in this rule shall be made through the bank account specified by the persons entitled to receive such payments upon verification of the identity of such persons and the claims made by such persons.

CHAPTER VII: DESIGNATED CUSTODIAN

26. Appointment of the designated custodian.- (1) The Central Government may appoint any person as a designated custodian for any Schedule I coal mine by notification under sub-section (1) section 18 of the Ordinance.

(2) The Central Government may appoint different designated custodians for each Schedule I coal mine.

(3) A designated custodian may appoint, with the prior approval of the Central Government, such other officers, consultants and experts as may be necessary to assist it in the discharge of its functions.

(4) The Central Government may, by an order, specify such matters as may be deemed expedient including the following, namely:-

(a) the duration of appointment of the designated custodian, which may be extended by the Central Government from time to time, if necessary;

(b) the specific actions, if any which the designated custodian shall be required to take with respect to each Schedule I mine entrusted with the designated custodian;

(c) in case the designated custodian undertakes mining operations, the manner of disposal of the coal mined by the designated custodian.

(5) The Central Government may enter into an operations and management agreement with the designated custodian.

IndiaCode

27. Possession by the designated custodian.- (1) The designated custodian shall be entitled to take control and possession of the relevant Schedule I coal mine through an order to the prior allottee of the relevant coal mine under the Ordinance.

(2) At the time of taking over the possession of the relevant Schedule I coal mine, the designated custodian shall prepare a list of assets constituting the relevant Schedule I coal mine and such list of assets shall be furnished to the Central Government and the prior allottee.

(3) In case of a Schedule II coal mine, if so directed by the designated custodian, the prior allottee shall hold the relevant Schedule II coal mine in trust for the designated custodian until the designated custodian assumes possession of the relevant Schedule II coal mine.

28. Operation and management plan.- (1) The designated custodian shall prepare a detailed operations and management plan for each Schedule I coal mine entrusted with the designated custodian and submit such operations and management plan to the Central Government within such time as may be specified by the Central Government which shall not exceed thirty business days.

(2) The operations and management plan shall contain details regarding-

(a) the manner in which the designated custodian shall operate and manage the relevant Schedule I coal mine;

(b) in case of any Schedule I coal mine, the operations and management plan shall also include particulars of any action that the designated custodian may take under sub-section (2) of section 19 of the Ordinance;

(c) the particulars of total cost that may be spent by the designated custodian in implementing the operations and management plan;

(d) the number of personnel that the designated custodian employs or hires for implementing the operations and management plan;

(e) in the event the designated custodian undertakes mining operations and disposes coal in the manner specified by the Central Government, then the amount that may be received by the designated custodian;

(f) manner of transfer of operation and management of Schedule I coal mines from designated custodian to a third party in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 19 of the Ordinance.

(3) The Central Government may make modifications to the operations and management plan and communicate the final operations and management plan to the designated custodian which shall be binding on the designated custodian and the Central Government may at any time require the designated custodian to modify the operations and management plan.

29. Cost, revenues and fee.- (1) The cost incurred by the designated custodian in operationalising the relevant coal mines including cost of obtaining statutory clearances shall be reimbursed by the Central Government.

(2) Any revenue which may accrue to the designated custodian shall be deposited with the Central Government.

(3) The designated custodian shall be entitled to a fee to defray his costs as may be specified by the Central Government.

30. Powers of the designated custodian.- (1) Without prejudice to the generality of the powers specified under section 19 of the Ordinance the designated custodian shall have the power to-

(a) carry on coal mining operations in any Schedule II coal mine;

(b) appoint a manager and other personnel for the carrying out of coal mining operations;

(c) enter, or authorise any other person to enter any land or premises of Schedule II coal mine entrusted to it;

(d) take such action as may be necessary for the recovery of any debt due to the Schedule II coal mines, in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 19 of the Ordinance;

(e) in case the designated custodian receives any money due to Schedule II coal mines, in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 19 of the Ordinance, which pertains to a transaction made at any time before the appointed date, the designated custodian shall disburse such money to the prior allocatee after making payments in accordance with the provision of section 9 of the Ordinance and such verifications as may be necessary;

(f) incur any expenditure, including the payment of taxes, duties, cess and rates to the Government or to any local authority, provided such expenditure are not due on account of the prior allottee:

IndiaCode

Provided further that in case such expenditure is necessary for operation and management of the mine, the designated custodian may incur the same with the prior approval of the Central Government;

(g) require any prior allottee of the Schedule II coal mine entrusted with it, or any third party to provide such information and documents (regarding relevant Schedule II coal mine entrusted with it), as it may think expedient;

(h) any other powers which may be consequential or incidental to the functions of the designated custodian specified in the Ordinance and these rules.

(2) The designated custodian shall have the power to take any action to preserve any Schedule I coal mine entrusted with it, in case of any emergent situation and any such action shall be immediately intimated in writing to the Central Government by the designated custodian.

(3) The Central Government may at any time direct the designated custodian to hand over possession, management and control of any of the mines referred to it to a person selected through the process of auction or allotment as per the provisions of the Ordinance and these rules.

CHAPTER VIII: MISCELLANEOUS

31. If any person submits or produces any document to the Central Government or any authority under the Ordinance or these rules, such document shall be accompanied by an affidavit regarding its genuineness and if it is discovered subsequently that such document is false or incorrect, he shall be liable under the law for the time being in force.

32. Audit.- The nominated authority, the Commissioner of Payments and the designated custodian shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

33. Conduct and discipline.- The nominated authority, the Commissioner of Payments the designated custodian and personnel, officers and staff working with the nominated authority, the Commissioner of Payment and the designated custodian shall be subject to conduct and disciplinary rules as may be applicable to them in accordance with the law or rules for the time being in force.

IndiaCode

[F. No. 11022/10/2014-CA-I]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.